कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–मीरजापुर।

पत्रांक– 504 ग्रा0अ0वि0/वाहन नीलामी/2018–19 दिनांक– 11-06-18

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–मीरजापुर में राजकीय वाहन संख्या– **UPF 5852, UGQ-7207 (जीप), J 7600, J 810 & J 10357 (रोलर) एवं UTN 8731 (ट्रैक्टर)** खराब हो जाने के कारण आयुक्त महोदय के आदेश संख्या–2339 दिनांक–24.04.2018 द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। निष्प्रयोज्य घोषित होने के उपरान्त जिलाधिकारी महादेय के आदेश दिनांक–05.06.2018 द्वारा उपरोक्त राजकीय वाहन की नीलामी कराये जाने हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को नीलाम अधिकारी नामित किया गया है।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर — अध्यक्ष
2. सम्बन्धित विभागीय अधिकारी — सदस्य
3. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी — सदस्य

अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राजकीय वाहन संख्या– **UPF 5852, UGQ-7207, (जीप), J 7600, J 810 & J 10357 (रोलर) एवं UTN 8731 (ट्रैक्टर)** जो कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–मीरजापुर के केन्द्रीय स्टोर में उपलब्ध है की नीलामी दिनांक– 12.07.2018 को दोपहर 12.00 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–मीरजापुर के केन्द्रीय स्टोर में निम्न शर्तो के अधीन होगी।

कमांक	वाहन संख्या/प्रकार	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	जमानत धनराशि
1	Jeep UPF-5852	रू0 32000.00	रू0 5000.00
2	Jeep UGQ-7207	रू0 30000.00	रू0 5000.00
3	Road Roller J-10357	रू0 90000.00	रू0 10000.00
4	Road Roller J-810	रू0 90000.00	रू0 10000.00
5	Road Roller J-7600	रू0 90000.00	रू0 10000.00
6	Tractor (UTN-8731)	रू0 45000.00	रू0 5000.00

नीलामी की शर्ते

1. निष्प्रयोज्य उपरोक्त राजकीय वाहन की नीलामी समय के पूर्व तक देखा जा सकता है। बोली बोलने वाले ब्यक्तियों की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वह बोली बोलने के पूर्व उक्त निष्प्रयोज्य राजकीय वाहन का भली–भाति देख कर निरीक्षण कर ले।
2. वाहन की नीलामी जैसा है जहॉ है के सिद्धान्त पर की जायेगी।
3. समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें। अन्तिम उच्चतम बोली सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत की जायेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलने के पूर्व निर्धारित प्रार्थना पत्र, पहचान स्वरूप आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ जमानत के रूप में उपरोक्त विवरण के अनुसार धनराशि दिनांक–12/07/2018 को प्रातः 11.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है।
5. नीलामी के अन्त में सर्वोच्च बोली दाता को एक चौथाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि नीलामी स्वीकृतोपरान्त जमा करनी होगी।
6. बोली स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी महोदय को है।
7. नीलामी स्वीकृति के पूर्व किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये इसे निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।
8. नीलाम केता को नीलामी की धनराशि के अतिरिक्त जी.एस.टी. आदि अलग से जमा करना होगा।

नीलाम अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड–मीरजापुर